सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
फाल्गुन 09, शुक्रवार, शाके 1946 - फरवरी 28, 2025 Phalguna 09, Friday, Saka 1946- February 28, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-2)विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 13, 2025

संख्या एफ.(27)(क)(39)गृह-2/2024 पार्ट1 :-राज्य सरकार, पूर्व में जारी की गई अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 2(1)(u) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला पुलिस थाना खैरथल का सृजन करती है, जिसका मुख्यालय खैरथल एवं स्थानीय क्षेत्र सम्पूर्ण जिला खैरथल रहेगा।

उक्त महिला पुलिस थाना द्वारा महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार से सम्बन्धित प्रकरणो में जाँच/अनुसंधान किया जाएगा:-

1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45) की धारा 64, 66, 67, 68,70, 74, 79, 80, 85, 96, 98, 99, 108, 141, 226, 296 ;
2) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 104) के अधीन दण्डनीय अपराध ;
3) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) के अधीन दण्डनीय अपराध ;
4) ऐसे अपराधों के प्रयत्न या दुष्प्रेरण के लिए दण्डनीय अपराध ;
5) **उक्त वर्णित विधियों में कारित अपराध के साथ-साथ अगर अन्य विधियों में भी अपराध कारित किया जाता है, तो उस विधि में भी अनुसंधान की शक्ति होगी।**

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

राकेश राजोरिया ,
संयुक्त शासन सचिव, गृह।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।